अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधित काण्डों के अनुसंधान हेतु अपेक्षिति जॉच सूची(Cheek List)

Sl.No.	Subject	Do'S	Don't
1	प्राथमिकी	1. घटना की सूचना मिलने पर तत्काल थाना दैनिकी में प्रविष्टि (S.D Entry) (पु0ह0नि0–116) करते हुए Hue and Cry नोटिस नियत्रंण कक्ष के माध्यम से सभी संबंधित को भेजने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। 2. जिन मामलों में अनवेषण या अनुसंधान का आधार अपर्याप्त हो, वैसे मामले में तत्काल सूचनादता या परिवादी को आ0ह0प्र0सं0–82 में यह बात तुरन्त अंकित कर सूचित कर दी जाय कि उक्त परिवाद का अन्वेषण नहीं किया जायेगा। 3. प्राथमिकी फर्दबयान के द्वारा ही अंकित करनी चाहिए। 4. अभियुक्तों के द्वारा अपराध के क्रम में किए गए अपराध का क्रमवार स्पश्ट उल्लेख प्राथमिकी में होना चाहिए। 5. प्राथमिकी में देखना चाहिए कि यह घटना घर के अंदर हुई है या बाहर, यदि घर के अंदर हुई है तो यह केश नहीं बनता है।	लिखित प्रतिवेदन नहीं लेनी चाए, चूँकि वादी को उदभेदन के दृश्टिकोण से क्या–क्या लिखना है की पूर्ण जानकारी नहीं होती है।
2	घटनास्थल एवं साक्ष्य संकलन	1. घटना की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना की घटनास्थल की यथासंभव सीमा निर्धारण, घेराबंदी (Cordoning) कराया जाना चाहिए। वादी को सूचित करें कि घटनास्थल पर व्यक्तियों का गमनागमन हो, ताकि उपलब्ध साक्ष्य के विनष्ट होने की संभावना क्षीण रहे। 2. घटनास्थल का फोटो विभिन्न कोणों से खीचना। 3. प्रदर्शो की मार्किंग करें। 4. घटनास्थल से भौतिक रूप से प्राप्त हुये सुराग (अंगुलांक, पदचिन्ह व अन्य वस्तु) को एकत्रित करना (Collection,Handling & Packing) एवं वि" ोशज्ञ से जांच कराना। 5. घटनास्थल की विस्तृत विवरण, चौहदी सहित अंकित करना एवं घटनास्थल को आरेखित (स्कैच) करना। 6. यदि घटनास्थल या उसके आस–पास सी0सी0 टी0वी0 लगा हो तो उसका फुटेज एकत्रित करना। 7. घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य से अपराधियों के विरूद्ध सूत्र हस्तगत करने हेतु श्वान दस्ता (Dog squad) की मदद लेना। 8. अपराधियों के द्वारा प्रयोग किये गये Modus Operandi के संबंध में सूचना संग्रह करना। 9. Different Type Material जैसेः– अभिलेखों, Finger Prints, रक्त, बाल, Fibers, और मिट्टी, Paint इत्यादि जो अपराधियों के द्वारा	–

		घटनास्थ्ल पर छोड़ा गया हो एवं उपलब्ध हो उसे संग्रह करना। 10. बढ़ने का Vital Clues. का मिलने की संभावना हो 11. संदिग्ध के Identification के संबंध में सूचना संग्रह करना। 12. प्राप्त सूचना के आलोक में अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान करें एवं घटनास्थल पर घटना से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्यों को संग्रह करना सुनिश्चित करेंगे। 13. गवाहों की जॉच (Witness's Testimony) जो साक्ष्य को सहायतार्थ एवं इन्कार करता हो, की सूचना संग्रह करना। 14. घटनास्थल पर वादी/सूचक/सूचना के आलोक में अविलम्ब जॉच कार्य में आने वाले कीट्स एवं प्रपत्रों के साथ पहुॅचना।	
3	जप्ती सूची	1. जाति सूचक भाब्द/पोस्टर/लिखित पाया जाता है तो उसका विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त करना चाहिए। 2. अनुसंधानकर्त्ता जप्ती–सूची बनाते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–102, 457 एवं 458 में दिये गये अनुदेशों का अवश्य अनुपालन करें। 3. द0प्र0सं0 की धारा–100 में कोई भी कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थान/भवन में तला" ाी कर अभिलेख को जप्त कर सकते हैं जो 100 द0प्र0सं0 के तहत तथ्य है। 4. यदि search के दौरान स्थानीय गवाह उपलब्ध नहीं हो तो वैसा search अवैध नहीं होगा। (search is not vitiated) 5. द0प्र0सं0 की धारा–100(6)(7) में प्रावधान है कि जप्त सम्पति का प्राप्ति रसीद स्वामी को लेने का अधिकार है। 6. जप्त समानों को गवाहों के समक्ष सील करना चाहिए।	1. Search के दौरान यदि Cr.PC.की धारा 100 में दिए गए निर्दे" ाों का अनुपालन नहीं किया जाएगा, वैसा search अवैध होगा, वैसे search का विरोध किया जा सकता है।
4	गवाहों का परीक्षण	1. प्रत्यक्षदर्शी गवाहों से अलग–अलग पूछताछ करना,एवं कांड में जाति सूचक भाब्दो का व्यवहार किया गया है तो काण्ड दैनिकी में गवाहों के बयान में स्पश्ट उल्लेख होना चाहिए।	अमर्यादित व छिछला तरीका का भाशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5	साक्ष्य संकलन घटनास्थल के अतिरिक्त	घटना स्थल से अलग भी यदि कहीं कोई साक्ष्य हो तो संकलन करने का प्रयास करना चाहिए।	–
6	वैज्ञानिक अनुसंधान	1.उद्भेदन के दृश्टिकोण से यदि वादी द्वारा मोबाईल या सी0डी0 के द्वारा ध्वनी संकलन किया गया हो तो उक्त मोबाईल या सी0डी0 को जप्त करना चाहिए।	–
7	रिकार्ड चेक करना	–	–
8	पीड़ित/पीड़िता के साथ की जाने वाली सावधानियॉ	1.अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित काण्डों का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक, के द्वारा किया जाना चाहिए। 2.पीड़िता को विधिवत मुवावजा देने का प्रबधांन है।	पीड़ित परिवार के साथ किसी भी हालत में सख्ती व अमर्यादित रवैया नहीं अपनाना चाहिए।
9	स्वीकारोक्ति बयान	i. गिरफ्तार व्यक्तियों का अभिलेख और उसका निपटारा आ0ह0प्र0सं0–31अ के अनुसार	–

		संधारित की जायेगी। ii. गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान विशेष शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार अभिलेखित किया जाना चाहिए। (To Prepare questionnaires for examining the accused) iii. स्वीकारोक्ति बयान इस उद्वेश्य से लिया जाना चाहिए, ताकि उस बयान के आधार पर लूटी गई सम्पत्ति/प्रयुक्त हथियार, पदार्थ अन्य वस्तुएं जो साक्ष्य की महत्पूर्ण कड़ी हो की बरामदगी की जा सके। (Leading to the recovery - as per the provisions of u/s 27 Evidence Act.) iv. अभियुक्त का पहचान परेड़ (T.I Parade) करना चाहिए। v. गिरफ्तारी के समय पुलिस पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा AIR 1997 SC 610 में D.K Basu VS State of west Bangal में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेंगे। vi. अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेखित करते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–281 में दिये गये प्रावधान को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखेंगे एवं Precaution लेंगे। vii. धारा–175, 178, 179, 180 और 228 भा0द0वि0 के अन्तर्गत किये गये अपराध के मामलों में जिसमें अभियुक्त का बयान एवं तथ्य लिपिवद्व कर लिए गये हों संबंधित दण्डाधिकारी को जिनक क्षेत्र का मामला हो 346 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कारवाई के लिए अग्रसारित कर देंगे।	
10	वारंट	1 न्यायालय में वारण्ट (Memo Of Evidence) हेतू अधियाचना समर्पित करते वक्त साक्ष्य ज्ञाप का विस्तृत रूप से उल्लेख करें। 2 अपराधकर्मी यदि दूसरे जिला का हो तो कु" ाल पदाधिकारी को भेजकर तामिला करना चाहिए। (A warrant of arrest may be excuted at any place of India. Cr.PC.77) 3 गिरप्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थापित करें। (Cr.P.C u/s 56, 57) 4 जमानतीय धारा के कांडों में गिरप्तार अभियुक्त को Sureties (प्रतिभूति/बंध पत्र)लेकर पुलिस पदाधिकारी विमुक्त करें। (Cr.P.C u/s 50(2) 5 गिरप्तार व्यक्ति यदि Medical assistance के लिए अनुरोध करें तो उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराया जाय एवं इसकी प्रविष्टि पंजी में की जाय । महिला की चिकित्सकीय जांच केवल महिला Medical practitioner से करायी जाय। (Cr.P.C 53) 6 किसी व्यक्ति को Search, बिना आक्रमक्ता एवं बल लगाए बिना उनकी निजता का ख्याल	आरोप पत्र का साक्ष्य जबतक नहीं हो माननीय न्यायलय से वारंट हेतु आवेदन नहीं देना चाहिए।

			रखते हुए Dignity के साथ करना चाहिए। महिलाओं का Search महिला पुलिसकर्मी हीं करें (Cr.P.C 51(2))।	
		7	किसी को भी बेड़ी (leg chains)और हथकड़ी (Handcuffs) न लगाये। (This mandated in judgement of the Supreme Court in Prem Shanker Shukla vs Delhi Administration (1980) 3 Scc 526 and citizen For Democracy vs state of Assam [(C 1995)3 Scc 743)	
		8	सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरप्तारी से परहेज करें ।	
		9	बिना Warrant के गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण, उसकी भाषा में बताएँ/गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप पुलिस अभिलेख में संधारित रहे। उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। (Cr.P.C u/s 50 (i))	
		10	गिरफ्तार व्यक्ति के अनुरोध पर उनके परिवार/मित्र को निरूद्ध (detention) का कारण बताना चाहिए। जिन्हें कारण बताया गया है, उनका नाम पता पंजी में संधारित अवश्य करें। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260))	
		11	जधन्य/गंभीर प्रकृति के अपराधों को छोड़कर अन्य में गिरफ्तारी से परहेज करें। पुलिस पदाधिकारी संबंधित को थाना में उपस्थित होने के लिए सूचित करें तथा उन्हें हिदायत दें कि बिना अनुमति के थाना से न जाए। (Jogender Kumar's Case (1994) 4 SCC 260))	
		12	द0प्र0सं0 की धारा–75 में गिरफतारी वारन्ट के संबंध में अधिसूचना पुलिस पदाधिकारी अथवा दूसरे कोई पदाधिकारी जो वारन्ट का निश्पादन कर रहे हों वे गिरफतार किये जाने वाले व्यक्ति को वारन्ट दिखायेगें।	
		13	दं0प्र0सं0 की धारा–76 में गिरफतार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य कोई दूसरे पदाधिकारी गिरफतार व्यक्ति को बिना बिलम्ब किये हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर देगें (धारा–71 द0प्र0सं0) यात्रा के अवधि को छोड़कर 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। गिरफतार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।	
11	अंतिम प्रपत्र	1	अनुसंधानोंपरान्त काण्ड में अंतिम प्रपत्र समर्पित करते समय घटना का संक्षिप्त विवरण आरोप पत्र की स्थिति में दोशी का पूर्ण विवरण, पता, दोशसिद्ध करने वाले प्रद" र्/गवाहों का पूर्ण विवरण, अनुसंधानक का पूर्ण विवरण,स्पश्ट हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाईल नं0/टेलिफोन नं0 आदि उल्लेख	

		करना चाहिए। 2 अनुसंधानकर्त्ता अन्वेषण का सारांश/कांड का ब्यौरा न देकर आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन की संख्या और तिथि भर अंकित रहेगी। (पु0ह0नि0–174 और 181 द्रष्टव्य) 3 अनुसंधानकर्त्ता आ0ह0प्र0सं0–32 में यथाशीग्र न्यायालय में भेजेंगे। साथ ही इसकी सूचना सूचनादाता को भी आ0ह0प्र0सं–82 में भेज दी जायेगी। (द0प्र0सं0 की धारा–173 एवं 190 (ख) द्रष्टव्य)।	

अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करना चाहिए।